माननिए न्यायमूर्ति अमित रावल के समक्ष

ग्राम पंचायत ग्राम दिनगार माजरा व अन्य... याचिकाकर्ताओं;

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य... उत्तरदाताओं।

2016 की सिविल रिट याचिका संख्या 20417

मई 10, 2017

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 243, 243-जी और 243-एच - हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994, एस एस 20 (1) (सी), 39 और 40 (ए) - हरियाणा पंचायती राज वित्त बजट, लेखा, लेखा परीक्षा कराधान और निर्माण नियम, 1996 - विकास कार्यों का निष्पादन - ग्राम पंचायत - भाग IX में शामिल होने के बाद एक निकाय कॉर्पोरेट और स्वशासन की संस्था, फिर, बेशक, 1994 अधिनियम की धारा 39 और 40 (ए) में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए ग्राम पंचायत की सभी निधियों का उपयोग केवल पंचायत द्वारा किया जा सकता है, न कि सरकार के अधिकारियों द्वारा - ग्राम पंचायतों, इस प्रकार, कार्यकारी अभियंता या खंड विकास और पंचायत अधिकारी के माध्यम से अपने धन का उपयोग करने के लिए निर्देशित नहीं किया जा सकता है - राज्य सरकार के पास यह निर्देश देने के लिए नियम जारी करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है कि पंचायत निधि (सरकारी सहायता के रूप में) सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उपयोग किया जाता है।

आभिनिर्धारित किया गया की प्रावधानों के संचयी पठन पर, मेरा विचार है कि ग्राम पंचायत निकाय कॉर्पोरेट है और भाग IX में शामिल होने के बाद स्वशासन की एक संस्था है, फिर, निश्चित रूप से 1994 अधिनियम की धारा 39 और 40 (ए) में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए ग्राम पंचायत की सभी निधियां, (ग) सरकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले उत्पादों का उपयोग केवल पंचायत द्वारा किया जा सकता है न कि सरकार के अधिकारियों द्वारा। इस प्रकार, ग्राम पंचायत को कार्यकारी अभियंता या खंड विकास और पंचायत अधिकारी के माध्यम से अपने धन का उपयोग करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है। राज्य सरकार को पंचायत निधियों (सरकारी सहायता के रूप में) का सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उपयोग करने का निदेश देने वाले नियम जारी करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। हालांकि, अगर सरकार को पता चलता है कि अनुदानों का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा रहा है जो अनुदान स्वीकृत किए गए थे या गबन किए जा रहे हैं, तो सरकार सरपंचों/पंचों के खिलाफ कानून के

अनुसार उचित कार्रवाई कर सकती है, अर्थात 1994 अधिनियम की धारा 20 (1) (ई) के अनुसार।

(पैरा 21)

आगे आभिनिर्धारित किया गया की, मेरी टिप्पणियों के एक परिणाम के रूप में, निर्देश (अनुबंध पी -2) और नियम संविधान के लेखों और 1994 अधिनियम और 1996 के नियमों की धारा 39 और 40 के प्रावधानों के साथ असंगत हैं। परिणामस्वरूप, निर्देशों (अनुबंध पी-2) को अलग रखा जाता है। यह माना जाता है कि उपरोक्त नियमों को लागू नहीं किया जाएगा। यद्यपि उपर्युक्त नियमों को चुनौती नहीं दी गई है, लेकिन एक बार राज्य ने किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश में उस पर भरोसा किया है, जिसे यह न्यायालय उचित समझे और कलकत्ता गैस कंपनी (प्रोपराइटरी) लिमिटेड बनाम भारत संघ बनाम भारत संघ बनाम भारत पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य, 1962 एआईआर (एससी) 1044। परिणामस्वरूप, रिट याचिकाओं की अनुमति दी जाती है। नतीजतन, 2016 की सीओसीपी संख्या 1817 निरर्थक हो गई है।

(पैरा 22)

विक्रम सिंह, एडवोकेट। मनोज कुमार पलवल, एडवोकेट। अमरदीप हुड्डा, एडवोकेट। सरफराज हुसैन, एडवोकेट। परमिंदर सिंह, एडवोकेट। वी.डी.शर्मा, एडवोकेट। राकेश धीमान, एडवोकेट। बी.एस. सरोहा, एडवोकेट। संजीव कुमार पंवार, एडवोकेट। संजय वर्मा, एडवोकेट। इवान सिंह, एडवोकेट फॉर शिव कुमार, एडवोकेट। राजेश लांबा, एडवोकेट। सुखदीप परमार, एडवोकेट। विवेक गोयल, एडवोकेट। वी.बी.अग्रवाल, एडवोकेट। नोनीश कुमार, एडवोकेट और अरुण कुमार, एडवोकेट और विजय प्रताप सिंह, एडवोकेट। विशाल शर्मा, एडवोकेट। डी.पी.एस.बाजवा, एडवोकेट। रॉबिन सिंह हुड्डा, एडवोकेट। मिंदरजीत यादव, एडवोकेट। अमित चौधरी, अधिवक्ता, याचिकाकर्ताओं के लिए

परविंदर चौहान, अतिरिक्त महाधिवक्ता हरियाणा।

गुंजन गेरा, अरविंद राजोटिया के वकील, अधिवक्ता, प्रतिवादी नंबर 8 के लिए

न्यायमूर्ति अमित रावल,

(1) मेरा यह आदेश 80 सिविल रिट याचिकाओं और एक सीओसीपी जिसका नंबर सीडब्ल्यूपी-12217-2015 ग्राम पंचायत ग्राम *लंडोरा बनाम हरियाणा राज्य है, सीडब्ल्यूपी-13338-2016 जिसका शीर्षक "ग्राम* पंचायत एमपी माजरा *बनाम हरियाणा राज्य", सीडब्ल्यूपी-14723-2016* का निपटारा किया जाएगा, जिसका शीर्षक "ग्राम पंचायत संगोहा बनाम *हरियाणा राज्य", सीडब्ल्यूपी-19828-2016 है। ग्राम पंचायत ग्राम फग्गू* बनाम हरियाणा राज्य", सीडब्ल्यूपी-16449-2016 "ग्राम पंचायत गांव दहर *बनाम हरियाणा राज्य", सीडब्ल्यूपी-19804-2016 (ओ एंड एम) "ग्राम पंचायत गांव भरोलियावाली* बनाम हरियाणा राज्य", सीडब्ल्यूपी-19823-2016 *"ग्राम पंचायत ग्राम रूपवास* बनाम हरियाणा राज्य" शीर्षक"सीडब्ल्यूपी-19836-2016 (*ओ एंड एम) "ग्राम पंचायत ग्राम हांडीखेड़ा* बनाम हरियाणा राज्य", सीडब्ल्यूपी-19914-2016 (ओ एंड एम) "ग्राम पंचायत गांव नुहियामवाली *बनाम हरियाणा राज्य", सीडब्ल्यूपी-20287-2016 "ग्राम पंचायत गांव करीवाला* बनाम हरियाणा राज्य", सीडब्ल्यूपी-20417-2016 "ग्राम पंचायत डिंगर माजरा के रूप में शीर्षक", सीडब्ल्यूपी-20417-2016 *"ग्राम पंचायत डिंगर माजरा* के रूप में शीर्षक"सीडब्ल्यूपी-22757-2016 "*ग्राम पंचायत ग्राम कामी* बनाम हरियाणा राज्य", सीडब्ल्यूपी-22875-2016 "ग्राम पंचायत चांदपुर *बनाम हरियाणा राज्य", सीडब्ल्यूपी-22932-2016 "ग्राम पंचायत दयालपुर* बनाम हरियाणा राज्य*", सीडब्ल्यूपी-23003-2016* "*ग्राम पंचायत, पहाड़ता बनाम सीडब्ल्यूपी-23088-2016 "*ग्राम पंचायत अबला जागीर *बनाम हरियाणा राज्य", सीडब्ल्यूपी-23593-2016 "ग्राम पंचायत ग्राम चिराओ* बनाम हरियाणा राज्य", सीडब्ल्यूपी-23654-2016 "ग्राम पंचायत गांव धनसोली बनाम हरियाणा *राज्य"*, सीडब्ल्यूपी-24098-2016 *"ग्राम पंचायत ग्राम सिरोही* के रूप में शीर्षकित"सीडब्ल्यूपी-24127-2016 "*ग्राम पंचायत गांव गोठड़ा मोहताबाद* बनाम हरियाणा राज्य", सीडब्ल्यूपी-24130-2016 "ग्राम पंचायत गांव बहादुरपुर *बनाम हरियाणा राज्य", सीडब्ल्यूपी-24570-2016 "ग्राम पंचायत गांव मांझावली बनाम हरियाणा राज्य", सीडब्ल्यूपी-24640-2016 "ग्राम पंचायत गांव मांझावली बनाम हरियाणा राज्य"*, सीडब्ल्यूपी-24640-2016 *शीर्षक "ग्राम पंचायत तिगांव* बनाम हरियाणा राज्य, सीडब्ल्यूपी-26701-2016 जिसका शीर्षक ग्राम पंचायत ग्राम भटोला *बनाम हरियाणा राज्य है, सीडब्ल्यूपी-26928-2016* जिसका शीर्षक ग्राम पंचायत ग्राम बलाचौर *बनाम हरियाणा राज्य है, सीडब्ल्यूपी-27079-2016* का शीर्षक ग्राम पंचायत ग्राम भट्टू कलां बनाम *हरियाणा* राज्य *है,* सीडब्ल्यूपी-16950-2016 "*ग्राम पंचायत गांव नबीपुर बनाम हरियाणा राज्य", सीडब्ल्यूपी-19459-2016 "*अफसाना सरपंच *बनाम हरियाणा राज्य", सीडब्ल्यूपी-20705-2016 "सब्बीर अहमद* बनाम हरियाणा राज्य", सीडब्ल्यूपी-22512-2016 "ग्राम पंचायत गांव गढ़ी जट्टान *बनाम हरियाणा* राज्य*", सीडब्ल्यूपी-22610-2016* शीर्षक "ग्राम पंचायत ग्राम *दयाल-गढ़* बनाम हरियाणा राज्य, सीडब्ल्यूपी-25658-2016 जिसका शीर्षक ग्राम पंचायत ग्राम जय जय वंती *बनाम हरियाणा*

राज्य है, सीडब्ल्यूपी-26608-2016 जिसका शीर्षक ग्राम पंचायत ग्राम आजोन बनाम हरियाणा राज्य है, सीडब्ल्यूपी-26646-2016 का शीर्षक *ग्राम पंचायत ग्राम बनोई, खुदाबख्श बनाम* हरियाणा राज्य है"सीडब्ल्यूपी-26686-2016*" ग्राम पंचायत गांव दिल्लूवाला* बनाम हरियाणा राज्य, सीडब्ल्यूपी-64-2017 "ग्राम पंचायत गांव बदरोला बनाम हरियाणा राज्य", सीडब्ल्यूपी-77-2017 "ग्राम पंचायत गांव शाहाबाद बनाम *हरियाणा राज्य*", सीडब्ल्यूपी-78-2017 *"ग्राम पंचायत ग्राम प्रह्लादपुर माजरा बदरोला बनाम* सीडब्ल्यूपी-100-2017 *"ग्राम पंचायत ग्राम बरोना* बनाम हरियाणा राज्य", सीडब्ल्यूपी-196-2017 "ग्राम पंचायत गांव सनपर बनाम हरियाणा राज्य", सीडब्ल्यूपी-157-2017 "ग्राम पंचायत ग्राम कुलाना बनाम *हरियाणा राज्य*", सीडब्ल्यूपी-269-2017 *"ग्राम पंचायत गांव थोल बनाम हरियाणा राज्य", सीडब्ल्यूपी-386-2017 "*सरपंच एसोसिएशन, ब्लॉक फारुख नगर (गुरुग्राम) *बनाम हरियाणा राज्य", सीडब्ल्यूपी-754-2017 "ग्राम पंचायत गांव सिंघवा खास* बनाम हरियाणा राज्य", सीडब्ल्यूपी-846-2017 "ग्राम पंचायत ग्राम धरमगढ़ *बनाम हरियाणा राज्य", सीडब्ल्यूपी-861-2017* शीर्षक *"ग्राम पंचायत गांव खोटपुरा* बनाम हरियाणा राज्य, सीडब्ल्यूपी-890-2017 "ग्राम पंचायत ग्राम बेगमपुर *बनाम हरियाणा राज्य", सीडब्ल्यूपी-311-2017 "ग्राम पंचायत गांव छछरौली, यमुना नगर* बनाम हरियाणा राज्य", सीडब्ल्यूपी-3656-2017 *"ग्राम पंचायत तिलपत* बनाम *हरियाणा* राज्य" शीर्षक", सीडब्ल्यूपी-1331-2017 "ग्राम *पंचायत, तिगांव, अद-हाना पट्टी बनाम हरियाणा राज्य",* सीडब्ल्यूपी-1900-2017 *"ग्राम पंचायत गांव ददोली* बनाम हरियाणा राज्य*",* सीडब्ल्यूपी-1596-2017 "*ग्राम पंचायत ग्राम किरोड़ी* बनाम हरियाणा राज्य", सीडब्ल्यूपी-1607-2017 "ग्राम पंचायत गांव ढकाला *बनाम हरियाणा राज्य", सीडब्ल्यूपी-1661-2017 "ग्राम पंचायत गांव कसीथल* बनाम हरियाणा राज्य", सीडब्ल्यूपी-2443-2017 *"ग्राम पंचायत ग्राम असदपुर* बनाम *हरियाणा* राज्य" शीर्षकसीडब्ल्यूपी-2527-2017 *का शीर्षक ग्राम पंचायत ग्राम बागम* बनाम हरियाणा राज्य, सीडब्ल्यूपी-3704-2017 का शीर्षक ग्राम पंचायत ग्राम चुहारपुर कलार्ट *बनाम हरियाणा राज्य, सीडब्ल्यूपी-4236-2017 का शीर्षक ग्राम पंचायत ग्राम अहमदपुर माजरा* बनाम हरियाणा राज्य, सीडब्ल्यूपी-1217-2017 *का शीर्षक ग्राम पंचायत कोट बनाम* हरियाणा राज्य *है ", सीडब्ल्यूपी-2308-2017 "ग्राम पंचायत गांव डिंगला बनाम हरियाणा राज्य", सीडब्ल्यूपी-2999-2017 "ग्राम पंचायत गांव थाई बनाम हरियाणा राज्य", सीडब्ल्यूपी-3579-2017 "ग्राम पंचायत गांव डीदवारी बनाम* हरियाणा राज्य", *सीडब्ल्यूपी-3627-2017* " *ग्राम* पंचायत गांव *पुघथला बनाम* राज्य *के रूप* में" शीर्षक *हरियाणा*", सीडब्ल्यूपी-3664-2017 "ग्राम पंचायत गांव भैंसवाल कलां मिथान *बनाम हरियाणा राज्य", सीडब्ल्यूपी-620-2017 "ग्राम पंचायत ग्राम महावती* बनाम हरियाणा राज्य", सीडब्ल्यूपी-4453-2017 "ग्राम पंचायत गांव बनोई खुदाबख्श *बनाम हरियाणा राज्य*", सीडब्ल्यूपी-4575-2017 "ग्राम पंचायत गांव बीर के रूप में *शीर्षकित", सीडब्ल्यूपी-4575-2017*

*"*ग्राम पंचायत गांव बीर के रूप में शीर्षक"सीडब्ल्यूपी-27281-2015 जिसका *शीर्षक "सब हैश चंद* बनाम हरियाणा राज्य*", सीडब्ल्यूपी-5243-2017 "सरपंच एसोसिएशन/ब्लॉक रोहतक* बनाम हरियाणा राज्य", सीडब्ल्यूपी-5247-2017 "ग्राम पंचायत गांव पिंजोरी *बनाम हरियाणा* राज्य", सीडब्ल्यूपी-5164-2017 "*ग्राम पंचायत भासकोला बनाम* सीडब्ल्यूपी-5961-2017 "*ग्राम पंचायत गांव भुलखेड़ी* बनाम हरियाणा राज्य", सीडब्ल्यूपी-6362-2017 "ग्राम पंचायत सुल्तान-पुर *बनाम हरियाणा राज्य", सीडब्ल्यूपी-6514-2017 "ग्राम पंचायत ग्राम सीताखपुर* बनाम *हरियाणा राज्य", सीडब्ल्यूपी-5566-2017* "ग्राम *पंचायत ग्राम संथाली* " शीर्षकसीडब्ल्यूपी-9948-2017 जिसका *शीर्षक "ग्राम पंचायत मुस्तफाबाद थ्रू इट्स सरपंच* बनाम हरियाणा राज्य*", सीडब्ल्यूपी-9980-2017 का शीर्षक "ग्राम पंचायत दुर-गापुर* बनाम हरियाणा राज्य", सीडब्ल्यूपी-10011-2017 का शीर्षक "ग्राम पंचायत ग्राम जैदरी बनाम हरियाणा राज्य", सीडब्ल्यूपी-7267-2017 *का शीर्षक "ग्राम पंचायत ज्योतिसर* बनाम हरियाणा राज्य", सीडब्ल्यूपी-8839-2017 "ग्राम पंचायत ग्राम झाल *बनाम हरियाणा राज्य*" के रूप में, और *सीओसीपी संख्या 1817-2016* पूजा रानी बनाम *रामफल",* कानून और तथ्य के सामान्य प्रश्नों के रूप में शामिल हैं। तथ्यों को 2016 के 20417 से लिया जा रहा है।

2. वर्तमान रिट याचिकाओं में निम्नलिखित प्रश्न शामिल हैं:–

क) क्या हरियाणा राज्य "विकास कार्यों के निष्पादन" विषय पर दिनांक 5.2.2015 (अनुलग्नक पी-2) के निर्देशों के आधार पर ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायतों के खाते में प्राप्त अनुदान को कार्यों के निष्पादन के लिए और उसकी अवहेलना करने के लिए संबंधित अधिशासी अभियंता के खाते में स्थानांतरित करने का निर्देश दे सकता है?

ख) क्या उपायुक्त हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (संक्षेप में "1994 अधिनियम") के प्रावधानों के तहत सरपंच और ग्राम पंचायत के खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर सकता है ताकि वह संबंधित कार्यकारी अभियंता को धन हस्तांतरित कर सके?

(ग) क्या ऐसे अनुदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ख, 243 छ और 243 ज तथा 1994 के अधिनियम की धारा 39 और 40 के प्रावधानों का अतिक्रमण कर सकते हैं?

घ) क्या अधिसूचना दिनांकित है। (ख) हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखा परीक्षा, कराधान और संकर्म नियम, 1996 (संक्षेप में 1996 नियम) को मूल अधिनियम में कोई संशोधन किए बिना संशोधित किया गया है और निर्देशों के निष्पादन के प्रयोजन के लिए लागू किया गया है, पूर्वोक्त?

3. हरियाणा राज्य के विभिन्न गांवों की ग्राम पंचायतों ने उपरोक्त निर्देशों और जारी पत्र को चुनौती देते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उन्हें कार्यकारी अभियंता पंचायत राज के कार्यालय में 10.00 लाख रुपये से अधिक के अनुदान हस्तांतरित करने का आह्वान किया गया है।

4. उपर्युक्त प्रश्नों का निर्णय करने के लिए, यदि मैं अनुच्छेद 243 बी, 243 जी और 243 एच के प्रावधानों को पुन: प्रस्तुत नहीं करता हूं, जो 24.4.1993 से संविधान के तिहत्तरवें संशोधन द्वारा कारित/संशोधित किए गए हैं, तो मैं अपने कर्तव्य में असफल रहूंगा। वही इस प्रकार है: -

> *243ख पंचायतों* का गठन - प्रत्येक राज्य में इस भाग के उपबंधों के अनुसार ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों का गठन किया जाएगा।
>
> (2) खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी; मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता है जिसकी जनसंख्या बीस लाख से कम न हो।
>
> *243-छ. पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व* - संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों और ऐसी विधि में पंचायतों को शक्तियों और उत्तरदायित्वों के अंतरण के लिए उपबंध अंतवष्ट हो सकेंगे, उपयुक्त स्तर पर, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें निर्दिष्ट की जा सकती हैं, निम्नलिखित के संबंध में-
>
> (क) आथक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना;
>
> (ख) आथक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी स्कीमों का कार्यान्वयन, जो उन्हें सौंपी जाएं, जिनके अंतर्गत वे स्कीमें भी हैं जो ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों से संबंधित हैं।
>
> *243 ज. पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ, और उनकी निधियाँ*- किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, -
>
> (क) किसी पंचायत को ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसी सीमाओं के अधीन रहते हुए ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीस उद्ग्रहण, संग्रहण और विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत करेगा;

(ख) ऐसे प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहीत और संगृहीत ऐसे कर, कर्तव्य, पथकर और फीदें पंचायत को समनुदेशित कर सकेगा और ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन रहूँगा;

(ग) राज्य की संचित निधि से पंचायतों को ऐसा सहायता अनुदान देने का उपबंध; और

(घ) पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से क्रमश प्राप्त सभी धनराशियों को जमा करने के लिए और उनमें से ऐसे धन को निकालने के लिए भी, जो विधि में विनिदष्ट किए जाएं, ऐसी निधियों के गठन का उपबंध करेगा।

5. अनुच्छेद के उपर्युक्त प्रावधानों के अवलोकन से यह अपुष्ट निष्कर्ष निकलता है कि संविधान के उपर्युक्त प्रावधानों ने पंचायतों को ऐसी शक्ति और अधिकार प्रदान किए हैं जो उन्हें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन के संबंध में स्व-शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाते हैं।

6. संविधान में उपर्युक्त संशोधन के अनुसरण में, राज्य विधानमंडल ने अपने विवेक से 1994 के अधिनियम में अध्याय V के तहत अभिव्यक्ति "ग्राम निधि" और "ग्राम निधि का स्रोत" को परिभाषित किया है। 1994 अधिनियम की धारा 39 और 40 के प्रावधानों को यहां नीचे पुन: प्रस्तुत किया जा रहा है: -

"***धारा 39 ग्राम निधि***

प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक ग्राम निधि होगी और उसका उपयोग इस या किसी अन्य अधिनियम द्वारा ग्राम पंचायत या उसकी किसी समिति पर अधिरोपित कर्तव्यों और दायित्वों को पूरा करने के लिए और ग्राम पंचायत के ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किया जाएगा जो सरकार निर्धारित करे।

धारा 40

ग्राम निधि का स्त्रोत - निम्नलिखित धनराशि ग्राम निधि में जमा की जाएगी -

i. सरकार या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों से सभी अनुदान जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है;
ii. शेष, यदि कोई हो, इस अधिनियम के प्रारंभ में ग्राम पंचायत के क्रेडिट पर खड़ा है;

iii. सभी निधियों की शेष राशि और आय, जो खंड विकास और पंचायत अधिकारी की राय में, सभा क्षेत्र में शामिल गांव या गांवों के सामान्य, धर्मनिरपेक्ष उद्देश्यों के लिए एकत्र की जा रही थी या एकत्र की जा रही है;

iv. सभी दान;

v. इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित और वसूल किए गए सभी कर, कर्तव्य, उपकर और फीस;

vi. ग्राम पंचायतों के सेवकों द्वारा एकत्र की गई सभी धूल, गंदगी, गोबर या शरण और किसी भी रीति-रिवाज या उपयोग के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा दावा नहीं किए गए जानवरों के शवों और ग्राम पंचायत में निहित भूमि के पेड़ों और अन्य उपज की बिक्री आय।

vii. मत्स्य पालन से प्राप्त आय जो ग्राम पंचायतों के प्रबंधन के अधीन है; और

viii. सामान्य भूमि से प्राप्त आय उस समय लागू किसी भी कानून के तहत ग्राम पंचायत में निहित है।

7. 1994 अधिनियम की धारा 39 और 40 के उपर्युक्त प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए ग्राम निधि का उपयोग ग्राम पंचायत या उसकी किसी समिति पर पूर्वोक्त अधिनियम के तहत लगाए गए कर्तव्यों और दायित्वों को पूरा करने के लिए किया जाएगा, जिसमें सरकार या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों से अनुदान भी शामिल होगा।

8. रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील ने अपने तर्कों के समर्थन में, उपरोक्त तर्क से समर्थन देने के लिए निम्नलिखित तीन निर्णयों पर भरोसा किया है कि राज्य की आक्षेपित कार्रवाई कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है और अधिकार क्षेत्र से बाहर है ,

i) पंजाब में स्थित विभिन्न ग्राम पंचायतों के मामलों के संबंध में 2011 की सीडब्ल्यूपी संख्या 15833 (ग्राम पंचायत ग्राम मान बनाम पंजाब राज्य) में दिए गए निर्णय दिनांक 26.8.2011 *को* पंजाब में स्थित विभिन्न ग्राम पंचायतों के मामलों के संबंध में, जहां समान प्रश्न उत्पन्न हुआ था और अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधानों पर विचार करते हुए पैरामेटेरिया, भारत के संविधान ने राज्य की कार्रवाई को अवैध माना, और अधिकार क्षेत्र से बाहर है

ii) 2011 की सीडब्ल्यूपी संख्या 20977 (ग्राम पंचायत *ग्राम बरोना, ब्लॉक खरखौदा, जिला सोनीपत* बनाम *हरियाणा राज्य*, में दिए गए निर्णय दिनांक 29.2.2012 जिसमें

राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत को राज्य के खाते में प्राप्त अनुदान सौंपने का आदेश देने की कार्रवाई को भी असंवैधानिक और अधिकार क्षेत्र के बिना माना गया है;

iii) 2016 की सीडब्ल्यूपी संख्या 4265 (ग्राम पंचायत खिप्पनवाली *बनाम* पंजाब राज्य, में दिए गए निर्णय दिनांक 16.8.2016 जिसमें ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत निधि में सहायता अनुदान की राशि जमा न करने से व्यथित थी; और

iv) 2009 की सीडब्ल्यूपी संख्या 8510 (ग्राम पंचायत गांव घमूर खीरी *बनाम* हरियाणा राज्य, वाली जनहित याचिका में पारित निर्णय दिनांक 9.7.2009/

9. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि संशोधन नियम 11 और 134 में संशोधन करके हैयाना पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखा परीक्षा, कराधान और निर्माण (संशोधन) नियम, 2012 में दिनांक 2.7.2012 की अधिसूचना के कारण हुआ है, जिसके द्वारा ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद को आईआईआरडीएफबी फंड को छोड़कर ग्राम पंचायत निधि आदि से कार्य (ओं) का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए सक्षम माना गया है, अनुसूची @' के अनुसार बिना किसी सीमा के, संक्षेप में वे स्वयं कार्य निष्पादित कर सकते हैं या इसे ठेकेदार के माध्यम से करवा सकते हैं या 10.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत तक पंचायती राज इंजीनियरिंग विंग को कार्य सौंप सकते हैं, लेकिन जिला परिषद स्वयं कार्य निष्पादित कर सकती है या 15.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत तक के कार्य के संबंध में ठेकेदार के माध्यम से इसे करवा सकती है, जबकि इन सीमाओं से परे कार्य निष्पादित करने की शक्ति इंजीनियरिंग विंग को अनुसूची क और ख के अनुसार दी गई है।

10. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि संशोधन मूल अधिनियम में संशोधन किए बिना किया गया है, इसलिए, उपरोक्त नियम भारत के संविधान में किए गए तिहत्तरवें संशोधन के उद्देश्य की पूरी तरह से अवहेलना करते हैं, संक्षेप में ग्राम पंचायतों के स्वतंत्र अधिकार को बाधित किया गया है और इस प्रकार, राज्य की कार्रवाई भ्रामक और छल है और प्रतिकूल भी है।

11. आगे यह तर्क दिया गया है कि इस न्यायालय की समन्वय पीठों द्वारा दिए गए सभी उपरोक्त निर्णयों में, सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त ग्राम पंचायतों के धन को हस्तांतरित करने या ग्राम पंचायतों के धन पर डोमेन या नियंत्रण रखने के लिए ग्राम पंचायतों पर एक शर्त लगाने में राज्य की कार्रवाई को भ्रामक माना गया है, इस प्रकार, इस न्यायालय से 5.2.2015 (अनुलग्नक पी -2) के उपरोक्त निर्देशों को रद्द करने का आग्रह किया।

12. *इसके विपरीत,* श्री परविंदर चौहान, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा, राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए, संशोधन और साथ ही निर्देशों पर भरोसा किया है, उपरोक्त जनहित

याचिका में डिवीजन बेंच के निष्कर्षों का पालन करते हुए यह प्रस्तुत करने के लिए कि इस न्यायालय की डिवीजन बेंच ने न केवल अधिनियम और नियमों को स्वीकार किया था, लेकिन कुछ स्थितियों का हवाला देते हुए समय-समय पर जारी की गई प्रक्रिया और दिशानिर्देश: -

हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता सिंह ने हालांकि तर्क दिया कि जब भी राशि ग्राम निधि में जमा की जा सकती है, तब भी पंचायत राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी वित्तीय सीमा के रूप में निर्धारित राशि से अधिक खर्च नहीं कर पाएगी। उन्होंने हमारा ध्यान उन दिशानिर्देशों की ओर आकर्षित किया जो श्री सिंह द्वारा उस सबमिशन के समर्थन में अनुलग्नक आर-2 के रूप में हलफनामे के साथ पेश किए गए हैं। उक्त दिशा-निर्देशों को पढ़ने से निस्संदेह पता चलता है कि ग्राम पंचायत द्वारा 3 लाख रुपये तक के कार्यों को "मजदूरी मस्टर रोल" के आधार पर निष्पादित किया जा सकता है, जबकि 3 लाख रुपये से अधिक और 50 लाख रुपये तक के कार्यों को निविदा प्रणाली के माध्यम से निष्पादित किया जाना है। हालांकि, ये दिशा-निर्देश किसी भी तरह से अधिनियम की धारा 39 और 40 या पहले संदर्भित नियम 11 के प्रावधानों के विरोध में नहीं हैं। यद्यपि, पंचायत के पक्ष में स्वीकृत राशि ग्राम निधि में जमा की जाए, तथापि इसका वास्तविक उपयोग अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों और सरकार द्वारा जारी प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देशों द्वारा विनियमित किया जाए। हम इस मामले में ऐसी स्थिति से नहीं निपट रहे हैं जहां ग्राम पंचायत सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का उल्लंघन करते हुए स्वीकृत राशि को अपने पक्ष में खर्च करने का प्रस्ताव करती है। हमारे सामने सवाल यह नहीं है कि क्या ग्राम पंचायत को 10 लाख रुपये की पूरी राशि मस्टर रोल आधार पर खर्च करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्रश्न यह है कि क्या स्वीकृत राशि को अनाज निधि में जमा किया जाना चाहिए और दिशा-निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित तरीके से और सरकार द्वारा अपने अनुदेशों के अनुसार अन्यथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपयोग किया जाना चाहिए। इन दोनों सवालों का जवाब हां में है। राशि को ग्राम निधि में जमा किया जाना चाहिए और एक बार जमा करने के बाद, अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार इसका उपयोग किया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह होगा कि जबकि कार्य के वास्तविक निष्पादन को दिशानिर्देशों द्वारा विनियमित किया जा सकता है, ग्राम निधि से राशि की निकासी आवश्यक रूप से पहले उद्धृत नियम 11 की कठोरता से गुजरनी चाहिए। परिणाम में, हम इस याचिका को स्वीकार करते हैं और उत्तरदाताओं को निर्देश देते हैं कि वे ग्राम निधि में स्वीकृत अनुदान सहायता की राशि जमा करना सुनिश्चित करें और राज्य सरकार द्वारा जारी

दिशानिर्देशों और निर्देशों को ध्यान में रखते हुए उक्त राशि को जिस उद्देश्य के लिए स्वीकृत किया गया है, उसके अनुसार इसका उपयोग करें। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि एक बार जब यह राशि बकाया पाई जाएगी और जिन्होंने कार्य निष्पादित किया है, उन्हें देय पाया जाएगा, तो ग्राम पंचायत जांच करेगी और कार्यों को निष्पादित करने के लिए नियुक्त एजेंसी द्वारा उठाए गए बिलों के बकाया के भुगतान के संबंध में उचित निर्णय लेगी। कोई लागत नहीं।

13. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि केंद्रीय वित्त आयोग-सह-राज्य वित्त आयोग के तहत प्राप्त अनुदान सहायता और विकास और पंचायत विभाग द्वारा निष्पादित अन्य योजनाओं के तहत धन सीधे इलेक्ट्रॉनिक मोड, यानी आरटीजीएस के माध्यम से ग्राम निधि में स्थानांतरित किया जा रहा है। शुरू किए जाने वाले कार्यों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन ग्राम पंचायतों द्वारा मौजूदा प्रक्रिया अर्थात् संबंधित ग्राम पंचायत के अधिकांश सदस्यों द्वारा पारित संकल्प के अनुसार दिया जाना है। किसी वित्तीय सीमा के अभाव में राज्य को उपर्युक्त नियम बनाने पड़े क्योंकि पंचायतें 1994 के अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया और समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार कार्यों को निष्पादित करने के लिए बाध्य हैं। इस प्रकार, 1994 के अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अवलोकन पर, सरकार द्वारा स्वीकृत राशि ग्राम निधि में जमा की जानी है और इसका वास्तविक उपयोग अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों और सरकार द्वारा जारी प्रक्रिया और दिशानिर्देशों द्वारा विनियमित किया जाना है, जैसा कि इस न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा निर्णय में अनिवार्य किया गया है, पूर्वोक्त, विशेषकर पिछले 2-3 वर्षों से यह पाया गया है कि कुछ ग्राम पंचायतें राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों, प्रक्रियाओं और दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रही हैं क्योंकि पंचायती राज के इंजीनियरिंग विंग के माध्यम से अनुमानित 10.00 लाख रुपये से अधिक के कार्य करवाने के बजाय वे स्वयं 1994 अधिनियम और 1996 के नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं। दिशा-निर्देशों से बहुत कम। इस मामले की पृष्ठभूमि में, संशोधन का कारण बनने का अवसर उत्पन्न हुआ, इस प्रकार, निर्देश संविधान के अनुच्छेद 243 बी, 243 जी और 243 एच और 1994 अधिनियम की धारा 39 और 40 के प्रावधानों के न तो विपरीत हैं और न ही उल्लंघन हैं। आक्षेपित अनुदेशों का उद्देश्य यह है कि ग्राम पंचायतों के खातों में जमा सहायता अनुदान का उपयोग ऐसे उद्देश्यों/योजनाओं के लिए किया जाए जिनके लिए इन्हें ग्राम पंचायतों द्वारा पारित संकल्पों के अनुसार 1994 अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रदान किया गया है। उपर्युक्त दिशा-निर्देश दिनांक 272012 की अधिसूचना पर आधारित हैं। उन्होंने उप-नियम (I) में नियम 134 में खंड (क) के असंशोधित और संशोधित प्रावधानों का उल्लेख किया, जो इस प्रकार है: -

"*असंशोधित प्रावधान*

"134. (1) (क) किसी कार्य का निष्पादन करने से पहले, यथास्थिति, ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद पहले यह निर्णय करेगी कि क्या वह स्वयं उस कार्य का निष्पादन करेगी या अनुसूची क के अनुसार उनमें निहित प्रशासनिक अनुमोदन की शक्ति तक ठेकेदार के माध्यम से निक्षेप कार्य के रूप में करेगी। इस शक्ति से परे विकास विभाग के इंजीनियरिंग विंग पंचायती राज के माध्यम से कार्य निष्पादित किया जाएगा। सभी खातों का रखरखाव संबंधित अधिकारियों द्वारा फॉर्म LVI 1 I और निविदा रजिस्टर फॉर्म LIX और LX में विभागीय रजिस्टर के अनुसार किया जाएगा।

संशोधित प्रावधान

"(क) ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद, जैसा भी मामला हो, अनुसूची क के अनुसार बिना किसी सीमा के एचआरडीएफबी निधियों को छोड़कर क्रमशः ग्राम पंचायत निधि, पंचायत समिति निधि, जिला परिषद निधि से कार्य (ओं) का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए सक्षम होगा। ग्राम पंचायत या पंचायत समिति स्वयं कार्य निष्पादित कर सकती है या ठेकेदार के माध्यम से करवा सकती है या 10.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत तक पंचायती राज इंजीनियरिंग विंग को कार्य सौंप सकती है। जिला परिषद स्वयं कार्य निष्पादित कर सकती है या ठेकेदार के माध्यम से करवा सकती है या उस कार्य को पंचायती राज इंजीनियरी विंग को सौंप सकती है। 15.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत इन सीमाओं से अधिक कार्य इंजीनियरी विंग के माध्यम से निष्पादित किए जाएंगे। सभी खातों का रखरखाव संबंधित अधिकारियों द्वारा फॉर्म I/II और निविदा रजिस्टर फॉर्म LIX और LX में विभागीय रजिस्टर के अनुसार किया जाएगा।

बशर्ते कि जहां मिट्टी संबंधी कार्य किए जाने की आवश्यकता है, उसे मनरेगा के अंतर्गत संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित कराया जाएगा।

8. तदनुसार, "1996 के नियम" की अनुसूची क, ख और घ में भी निम्नलिखित प्रतिस्थापन करके संशोधन किया गया है: -

अनुसूची 'क '

[(नियम 131, नियम 132 के उपनियम (1) और नियम 134 (2) (क) के खंड (क) देखें]

(a) प्रशासनिक अनुमोदन (b) तकनीकी मंजूरी देने के लिए प्राधिकारी							
क्रम संख्या	कार्य की प्रकृति और मूल्य	ग्राम पंचायत कार्य		ग्राम पंचायत समिति का कार्य		जिला परिषद कार्य	
1	2	3	4	5	6	7	8
		द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन	द्वारा तकनीकी मंजूरी	द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन	द्वारा तकनीकी मंजूरी	द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन	द्वारा तकनीकी मंजूरी
एक	मूल कार्य:-						
1.	अपने स्वयं के फंड के साथ-साथ आवंटित धन से प्रशासनिक अनुमोदन के लिए किसी भी कैपिंग के बिना	ग्राम पंचायत	1. उप विभागीय अधिकारी रु.10.00 लाख तक 2. अधिशासी अभियंता रु.10.00 लाख से रु.25.00 लाख से अधिक 3. 25 लाख से 50 लाख रुपये तक के अधीक्षण अभियंता	पंचायत समिति	1. उप विभागीय अधिकारी रु.10.00 लाख तक 2. अधिशासी अभियंता रु.10.00 लाख से रु.25.00 लाख से अधिक 3. 25 लाख से 50 लाख रुपये तक के अधीक्षण अभियंता	जिला परिषद	1. उप विभागीय अधिकारी रु.10.00 लाख तक 2. अधिशासी अभियंता रु.10.00 लाख से रु.25.00 लाख से अधिक 3. 25 लाख से 50 लाख रुपये तक के अधीक्षण अभियंता

			4. मुख्य अभियंता 50 लाख रुपये से अधिक		4. मुख्य अभियंता 50 लाख रुपये से अधिक		4. मुख्य अभियंता 50 लाख रुपये से अधिक
जन्म ।	मरम्मत और रखरखाव: -						
1.	अपने स्वयं के फंड के साथ-साथ आवंटित धन से प्रशासनिक अनुमोदन के लिए किसी भी कैपिंग के बिना	ग्राम पंचायत	1. 25000 रुपये तक उप विभागीय अधिकारी 2. 25000 रुपये से अधिक का निष्पादनकर्ता ई-इंजीनियर 3. 50000 रुपये से 1.00 लाख रुपये से ऊपर के अभियंता के अधीक्षक 4. मुख्य अभियंता रु.1.00 लाख से अधिक	पंचायत समिति	1. 25000 रुपये तक उप विभागीय अधिकारी 2. 25000 रुपये से अधिक का निष्पादनकर्ता ई-इंजीनियर 3. 50000 रुपये से 1.00 लाख रुपये से ऊपर के अभियंता के अधीक्षक 4. मुख्य अभियंता रु.1.00 लाख से अधिक	जिला परिषद	1. 25000 रुपये तक उप विभागीय अधिकारी 2. 25000 रुपये से अधिक का निष्पादनकर्ता ई-इंजीनियर 3. 50000 रुपये से 1.00 लाख रुपये से ऊपर के अभियंता के अधीक्षक 4. मुख्य अभियंता रु.1.00 लाख से अधिक

अनुसूची 'ब'

कोटेशन/निविदाएं आमंत्रित करना और स्वीकार करना [नियम 134 के उपनियम (1) का खंड (ख) देखें और नियम 135 का उपनियम (1) देखें]

क्रम संख्या	मूल कार्यों/ मरम्मत कार्यों की लागत	एनआईक्यू /एनआईटी को मंजूरी देने का अधिकार	एनआईक्यू / एनआईटी स्वीकार करने का अधिकार	निविदाएं /कोटेशन आमंत्रित करने का प्राधिकरण	निविदाओं/कोटेशन को स्वीकार करने का अधिकार	स्वीकृति की शर्तें, यदि कोई हो	कार्य आदेश/एग्रीमेंट निष्पादित करने का प्राधिकरण	**टिप्पणियां**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
एक	रु.10 लाख तक (रु.25,0 00 मरम्मत कार्यों के लिए)	जूनियर इंजीनियर	उपविभागीय अधिकारी	पंचायत/ पंचायत समिति/ जिला परिषद	पंचायत/ पंचायत समिति/ जिला परिषद	यदि दरें 5% से अधिक हो तो उपमंडल कार्यालय दरों का अनुमोदन करेगा। यदि अतिरिक्त 5%	सरपंच/अध्यक्ष/अध्यक्ष	अनुमान तकनीकी रूप से स्वीकृत होना चाहिए

						से 10% के बीच है तो अधिशासी अभियंता दरों को अनुमोदित करेगा		
दो.	रु.10 लाख से अधिक से 25 लाख (मरम्मत कार्यों के लिए रु. 50,000)	उप मंडल - अल कार्यालय	अधिशासी अभियंता	पंचायत और कार्यकारी अभियंता पंचायत समिति और कार्यकारी अभियंता जिला परिषद और कार्यकारी अभियंता (संयुक्त रूप से)	सरपंच और कार्यकारी अभियंता अध्यक्ष और कार्यकारी अभियंता	यदि दरें 5% से अधिक हो तो उपमंडल कार्यालय दरों का अनुमोदन करेगा।	सरपंच/अध्यक्ष/अध्यक्ष	अनुमान तकनीकी रूप से स्वीकृत होना चाहिए

						यदि अतिरिक्त 5% से 10% के बीच है तो अधिशासी अभियंता दरों को अनुमोदित करेगा		
तीन	रु.25 लाख से अधिक से 50 लाख (रु.1,00,000 मरम्मत कार्यों के लिए)	अधिशासी अभियंता	एसई (पीआर)	पंचायत और कार्यकारी अभियंता पंचायत समिति और कार्यकारी अभियंता जिला परिषद और कार्यकारी अभियंता	अध्यक्ष और कार्यकारी अभियंता (संयुक्त रूप से)	यदि दरें 5% से अधिक हो तो उपमंडल कार्यालय दरों का अनु	सरपंच/अध्यक्ष/अध्यक्ष	अनुमान तकनीकी रूप से स्वीकृत होना चाहिए

				(संयुक्त रूप से)		मोद न करे गा। यदि अति रिक्त 5% से 10% के बीच है तो अधि शासी अभि यंता दरों को अनु मोदि त करे गा		
चा	रु. 50 लाख से अधिक	अधिशासी अभियंता	मुख्य अभि यंता	पंचायत और कार्यकारी अभियंता पंचायत समिति और कार्यकारी अभियंता जिला	पंचायत और एसई पंचायत समिति और अधीक्षक अभियंता, जिला परिषद	यदि दरें 5% से अधि क हो तो उपमं डल कार्या	सरपंच/अ ध्यक्ष/अध्य क्ष	अनु मान तक नीकी रूप से स्वी कृत होना

				परिषद और कार्यकारी अभियंता (संयुक्त रूप से)	और अधीक्षक अभियंता (संयुक्त रूप से मुख्य अभियंता	लय दरों का अनुमोदन करेगा। यदि अतिरिक्त 5% से 10% के बीच है तो अधिशासी अभियंता दरों को अनुमोदित करेगा		चाहिए

5. विद्यमान अनुसूची 'घ' के लिए उक्त नियमों में निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्

अनुसूची ' घ '

(नियम 139)

कार्यों के मूल्यांकन की योग्यता

क्रमांक	**कार्यालय/अधिकारी की योग्यता**	**तक काम करता है**	**टिप्पणियां**
1	उपविभागीय अधिकारी, पंचायती राज	रु. 10,00,000	प्रदान किया गया अनुमान तकनीकी रूप से स्वीकृत है
2	अधिशासी अभियंता, पंचायती राज ऊपर	रु. 10,00,000	प्रदान किया गया अनुमान तकनीकी रूप से स्वीकृत है

14. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि दिनांक 9.7.2009 के निर्णय का पालन न करने के लिए कई अवमानना याचिकाएं दायर की गई थीं और महाधिवक्ता, हरियाणा के बयान पर उनका निपटारा किया गया था कि राज्य सरकार ने यह निर्दिष्ट करके प्रासंगिक नियमों और निर्देशों में संशोधन करने का निर्णय लिया था कि केंद्र और राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा जारी अनुदान सहायता को बिना किसी मौद्रिक के ग्राम पंचायत निधि में जमा किया जाएगा ग्राम पंचायतों को अपने कार्य, जो 5.00 लाख रुपये से अधिक अनुमानित हैं, केवल पंचायती राज इंजीनियरिंग विंग के माध्यम से अनुसूची "ए" और "बी" का हवाला देते हुए निष्पादित करना होगा, जो पंचायत विकास के विभिन्न कार्यालयों के माध्यम से ग्राम पंचायतों के धन के उपयोग को निर्धारित करता है और इस प्रकार, रिट याचिकाओं को खारिज करने की प्रार्थना करता है।

15. मैंने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है, पेपर बुक का मूल्यांकन किया है और यह विचार किया है कि याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुतियों में बल और योग्यता है।

16. संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को भाग III द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार के प्रवर्तन के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए उसमें उल्लिखित प्रकृति के निर्देश और रिट जारी करने के लिए एक बहुत व्यापक शक्ति प्रदान करता है। संविधान में किए गए तिहत्तरवें संशोधन के उपर्युक्त प्रावधानों को पढ़ने पर, यह संदेह का कोई तरीका नहीं छोड़ता है कि ग्राम पंचायत एक निकाय कॉर्पोरेट है और स्व-शासन की एक संस्था है, इसलिए, सरकारी अधिकारियों के माध्यम से पंचायतों के धन के उपयोग का निर्देश देने वाली सरकार की ओर से कार्रवाई पूरी तरह से असंवैधानिक है, अवैध, बहुत कम शून्यता।

17. इसमें कोई संदेह नहीं है कि 1994 के अधिनियम की धारा 209 सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है, लेकिन नियम अधिनियम के उद्देश्यों से असंगत नहीं हो सकते।

1994 के अधिनियम की धारा 39 और 40, विशेष रूप से धारा 40 के उपखंड (ए) में प्रावधान है कि सरकार या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों से सभी अनुदान ग्राम निधि में जमा किए जाएंगे। अधिनियम में संशोधन करके इसे पूरक नहीं बनाया जा सकता है। उपरोक्त अधिसूचना के अनुसरण में, लिखित बयान में लिए गए स्टैंड के अनुसार, जारी किए गए आक्षेपित निर्देश (अनुबंध पी-2), मेरे विचार में, किसी भी समय, संशोधित नियमों का उल्लेख नहीं करते हैं, जिन पर विद्वान राज्य के वकील द्वारा जोरदार ढंग से भरोसा किया गया है। दिनांक 5.2.2015 के निर्देशों में कहा गया है-

"से

हरियाणा विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव

तक

हरियाणा राज्य के सभी संभागीय आयुक्त

हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त

हरियाणा राज्य के सभी अतिरिक्त उपायुक्त

हरियाणा राज्य में सभी जिला विकास और पंचायत अधिकारी

हरियाणा राज्य में सभी कार्यकारी अभियंता (पीआर)।

मेमो नंबर डीएफए 3/2015/4162-4252 दिनांक : 05.02.2015

विषय : विकास कार्यों का निष्पादन-उसके निर्देश।

कृपया इस विभाग मेमो नंबर डीएफए-3-2011/36392 दिनांक 18.7.2011 और बाद के निर्देश पत्र संख्या डीएफए-3-2012/48328-415 दिनांक 24.8.2012 और पत्र संख्या डीएफए 3 - 2013/32549-594 दिनांक 26.6.2013 को उपरोक्त विषय पर आगे बढ़ाएं।

जैसा कि आप जानते हैं कि सभी योजनाओं के तहत धनराशि सीधे संबंधित ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जा रही है। ग्राम पंचायतें एचआरडीएफ स्कीमों के अंतर्गत कार्यों को छोड़कर सभी विकासात्मक कार्यों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान कर रही हैं।

प्रणाली को और सुव्यवस्थित करने और लोगों की महसूस की गई आवश्यकता के अनुसार सभी क्षेत्रों के समान विकास को सुनिश्चित करने के लिए, डीसी पीआरआई के निर्वाचित प्रतिनिधियों के परामर्श से क्षेत्र के लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में

कार्य को प्राथमिकता देंगे। डीसी या एडीसी निधियों की मंजूरी के लिए विभाग को कार्यों की सिफारिश करते समय यह भी सुनिश्चित करेगा कि: -

(i) ग्राम पंचायत ने कार्यों के चयन के लिए बहुमत से संकल्प पारित किया है;

(ii) जीपी के संकल्प में यह भी उल्लेख किया जाएगा कि यदि किसी विशेष कार्य की बहुमत के साथ अनुमानित लागत 10 लाख रुपये से अधिक है, तो उपरोक्त पत्र के माध्यम से निर्देशित उनके बैंक खाते में धन की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर कार्यों के निष्पादन के लिए संबंधित कार्यकारी अभियंता को धनराशि हस्तांतरित की जाएगी;

(iii) सक्षम प्राधिकारी ने कार्यों के उचित अनुमान तैयार कर लिए हैं और प्राथमिकता प्रदत्त कार्यों के लिए उनका तकनीकी अनुमोदन प्रदान कर दिया है; और

(iv) कार्यों का कोई विभाजन न होना।

यदि जीपी 10 लाख रुपये से अधिक अनुमानित लागत वाले कार्यों के लिए अधिशासी अभियंता को धनराशि हस्तांतरित करने में विफल रहती है, तो उपायुक्त हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार सरपंच और जीपी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करेंगे और संबंधित कार्यकारी अभियंता को धनराशि हस्तांतरित करेंगे। इसके अलावा, उस विशेष गांव/ग्राम पंचायत को आगे अनुदान धारित होगा।

प्राक्कलन में किसी कार्य के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन किया जाना चाहिए और यदि निष्पादन एजेंसी को निर्धारित अवधि के भीतर कार्य पूरा करने में कठिनाई होती है, तो निर्धारित अवधि के साथ कार्य पूरा न होने के कारण बताते हुए निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले डीसी से अवधि के विस्तार के लिए अनुमति मांगी जानी चाहिए।

डीसी/एडीसी काम पूरा होने के 15 दिनों के भीतर यह सुनिश्चित करेगा कि उचित पूर्णता प्रमाणपत्र दर्ज किया गया है और सूचना संबंधित क्वार्टर को भेज दी गई है।

एसडी/-

हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव के लिए नोडल अधिकारी (विकास)

विकास और पंचायत विभाग"

18. अनुच्छेद 243 (i) के तहत राज्य की आशंका पर भी ध्यान दिया गया है, जहां किसी राज्य के राज्यपाल को तिहत्तरवें संशोधन के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए वित्त आयोग का गठन करने और राज्यपाल को उस सिद्धांत

के बारे में सिफारिश करने की शक्ति प्रदान की गई है जो राज्य और पंचायतों के बीच वितरण को नियंत्रित करे। पंचायत की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक करों, शुल्कों, उपायों का निर्धारण और राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को भेजा गया कोई अन्य मामला, लेकिन किसी भी तरह से ग्राम पंचायत की शक्तियों की चोरी को निर्धारित नहीं करता है।

19. संविधान का अनुच्छेद 243 (जे) भी पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा से संबंधित है। इस प्रकार, मेरे विचार से पंचायत निधियों के दुरुपयोग की कोई संभावना नहीं हो सकती क्योंकि पंचायत का निर्वाचित निकाय हमेशा पंचायत के कार्यों के लिए प्रयास करेगा और सभी निर्णय कार्यपालिका के अनुमोदन के अधीन होते हैं, लेकिन खाते में निधियों का अंतरण और विवेकाधिकार पर उपयोग, मेरे विचार में, यह पूरी तरह से असंवैधानिक और अधिकार क्षेत्र के बाहर है। संक्षिप्तता के लिए, अनुच्छेद 243 (i) और (j) को यहां नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

> **"243-1। वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयुक्त का गठन।**(1) किसी राज्य का राज्यपाल, संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर यथाशीघ्र, और तत्पश्चात् प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर, पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने और राज्यपाल को निम्नलिखित सिफारिशें करने के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा कि-
>
> (क) वे सिद्धांत जो निम्नलिखित को शासित करने चाहिए-
>
> (1) राज्य द्वारा उद्ग्रहणीय करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों की शुद्ध प्राप्तियों का राज्य और पंचायतों के बीच वितरण, जो इस भाग के अधीन उनके बीच विभाजित किया जा सकेगा और पंचायतों के बीच ऐसी प्राप्तियों के उनके संबंधित अंशों के सभी स्तरों पर आबंटन किया जा सकेगा;
>
> (ii) पंचायतों को सौंपे गए या उनके द्वारा विनियोजित किए जाने वाले करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों का अवधारण;
>
> (iii) राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान;
>
> (ख) पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए जाने की आवश्यकता है;
>
> (ग) पंचायतों के सुदृढ़ वित्त के हित में राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को निदष्ट कोई अन्य विषय।

(2) राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, आयोग की संरचना, वे अर्हताएं जो उसके सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित होंगी और वह रीति जिससे उनका चयन किया जाएगा, उपबंध कर सकेगा।

(3) आयोग उनकी प्रक्रिया अवधारित करेगा और उसे अपने कृत्यों के पालन में ऐसी शक्तियाँ होंगी जो राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उन्हें प्रदान करे।

(4) राज्यपाल इस अनुच्छेद के अधीन आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को, उस पर की गई कार्रवाई के व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित, राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा।

243 जे। राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, पंचायतों द्वारा लेखों के रखरखाव और ऐसे लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में उपबंध कर सकेगा।

20. इस न्यायालय की समन्वय पीठों द्वारा दिए गए निर्णयों में यही कहा गया है। 1994 अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (xxix) में "ग्राम पंचायत" की परिभाषा का प्रावधान है "ग्राम पंचायत" का अर्थ है इस अधिनियम के तहत ग्राम स्तर पर गठित पंचायत और धारा 8 ग्राम पंचायत की स्थापना और गठन से संबंधित है, जो यह प्रावधान करती है कि सरकार, अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक सभा क्षेत्र में नाम से एक ग्राम पंचायत की स्थापना कर सकती है, जिसमें सरपंच शामिल होंगे, जो ग्राम सभा द्वारा पंचायत क्षेत्र के वार्डों से छह से बीस पंचों द्वारा अपने मतदाताओं में से निर्वाचित किया जाएगा और उपरोक्त सभी स्थान पंचायत क्षेत्र के वार्डों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे। वही इस प्रकार पढ़ता है:

"8. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक सभा क्षेत्र में नाम से एक ग्राम पंचायत स्थापित कर सकेगी।

(2) प्रत्येक ग्राम पंचायत निम्नलिखित से मिलकर बनेगी-

(क) सरपंच जो ग्राम सभा द्वारा उसके मतदाताओं में से गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचित किया जाएगा;

(ख) किसी पंचायत क्षेत्र के वार्डों से विहित रीति से छह से बीस पंच;

[(ग) ******]

(3) उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट उपरोक्त सभी स्थान पंचायत क्षेत्र के वार्डों में से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएँगे और इस प्रयोजन के लिये प्रत्येक पंचायत क्षेत्र वार्डों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या और उसे आबंटित पंचों के स्थानों की संख्या के बीच का अनुपात, जहां तक संभव हो, पूरे पंचायत क्षेत्र में समान रहें।

21. प्रावधानों के संचयी पठन पर, मेरा विचार है कि ग्राम पंचायत निकाय कॉर्पोरेट है और भाग IX में शामिल होने के बाद स्वशासन की एक संस्था है, फिर, निश्चित रूप से 1994 अधिनियम की धारा 39 और 40 (ए) में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए ग्राम पंचायत की सभी निधियां, (ग) सरकार के अधिकारियों द्वारा नहीं, बल्कि पंचायत द्वारा उपयोग की जा सकती है। अत ग्राम पंचायतों को कार्यपालक अभियंता अथवा खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के माध्यम से अपनी निधियों का उपयोग करने का निदेश नहीं दिया जा सकता। राज्य सरकार को पंचायत निधियों (सरकारी सहायता के रूप में) का सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उपयोग करने का निदेश देने वाले नियम जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि, अगर सरकार पाती है कि अनुदान का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा रहा है जो अनुदान स्वीकृत किए गए थे या गबन किए जा रहे हैं, तो सरकार सरपंच/पंचों के खिलाफ कानून के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई कर सकती है, अर्थात 1994 अधिनियम की धारा 20 (1) (ई) के अनुसार।

22. मेरी टिप्पणियों के परिणाम के रूप में, निर्देश (अनुबंध पी-2) और नियम संविधान के लेखों और 1994 के अधिनियम और 1996 के नियमों की धारा 39 और 40 के प्रावधानों के साथ असंगत हैं। परिणामस्वरूप, निर्देश (अनुबंध पी-2) को अलग रखा जाता है। यह माना जाता है कि उपरोक्त नियमों को लागू नहीं किया जाएगा। हालांकि उपर्युक्त नियमों को चुनौती नहीं दी गई है, लेकिन एक बार जब राज्य ने लिखित बयान में उस पर भरोसा किया है, तो यह न्यायालय हमेशा प्रार्थना खंड के तहत राहत को बड़ा कर सकता है ""कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जिसे यह न्यायालय उचित और उचित समझे", *कलकत्ता गैस कंपनी (प्रोपराइटरी) लिमिटेड* में निकाले गए *अनुपात के मद्देनजर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय बहुत कम*/बनाम *पश्चिम बंगाल राज्य*, [5] एआईआर 1962 एससी 1044।

23. परिणामस्वरूप, रिट याचिकाओं की अनुमति दी जाती है।

24. नतीजतन, 2016 की सीओसीपी संख्या 1817 निरर्थक हो गई है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सचिन सिंघल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

हिसार , हरियाणा